उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद

32, सिविल लाइन्स, मथुरा।

पत्रांक :– 607/ब्र.ती.वि.प./21–22 दिनांकः 25 अक्टूवर, 2021

<u>अल्पकालीन सार्वजनिक नीलामी हेतु विज्ञप्ति</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कुम्भ मेला ग्राउण्ड वृन्दावन म ब्रज रज उत्सव–2021 के आयोजन दिनांक 10.11.2021 से 19.11.2021 तक के लिए निम्नलिखित ठेका दिनांक 2.11.2021 का अपरान्ह 2:00 बजे से सभागार मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा में सार्वजनिक नीलामी द्वारा उठाये जायेगे। ठेका सम्बन्धी सार्वजनिक नीलामी की शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा कार्यालय में उपस्थित होकर सहायक अभियंता (सिविल) से प्राप्त की जा सकती है। सार्वजनिक नीलामो द्वारा उठाये जाने वाले ठेको की बोली दिनांक 2.11.2021 को अपरान्ह ग2:00 बजे स प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए सार्वजनिक नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी हेतु शर्ते www.upbtvp.in पर अथवा कार्यालय में देखी जा सकती हैं

क्र.सं.	ठेको का विवरण	सार्वजनिक नीलामी दिनांक/समय	ठेका उठाये जाने का माध्यम
1.	ठेका तह बाजारी वास्ते झूले मय मेला क्षेत्र परिसर की टीन शेड क्लोज्ड बेरीकेटिंग (लगभग 2000 वर्ग मीटर)	02.11.2021 समय अपरान्ह 2.00 बजे प्रारम्भ	सार्वजनिक नीलामी द्वारा

भवदीय,

(नगेन्द्र प्रताप)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0ब्रज तीर्थ विकास परिषद,मथुरा

<u>पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपिः–1 उपाध्यक्ष महोदय, उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी मथुरा को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3. उपमुख्य कार्यपालक अधिकारी उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा ।
4. वित्त अधिकारी उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
5. दैनिक समाचार पत्र–"अमर उजाला" व "हिन्दुस्तान" व "दैनिक जागरण" को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0ब्रज तीर्थ विकास परिषद,मथुरा

ठेका तहबाजारो की सार्वजनिक नीलामी हेतु शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने से पूर्व नोलाम बोलीदाता को 250000.00 (रू.दो लाख पचास हजार मात्र) बतौर जमानत धनराशि जमा करनी होगी। जमानत धनराशि मेले की पूरी अवधि के लिए जमा होगी। जमानत धनराशि का समायोजन नहीं होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा की स्वीकृति उपरान्त मेला समाप्ति के एक सप्ताह बाद जमानत धनराशि ठेकेदार को वापस की जायेगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को नीलाम धनराशि दो किश्तों में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
3. उच्चतम नीलाम बोलीदाता ठेकेदार को नीलामी बोली के तुरन्त पश्चात नीलाम बोली की 1/2 धनराशि प्रथम किश्त के रूप में तत्काल जमा करनी होगी। नीलाम बोली की शेष 1/2 धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में नीलाम बोली की तिथि से 03 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
4. झूले स्थापित किये जाने हेतु दिया जाने वाला क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग मीटर होगा।
5. टीन शेड क्लोज बेरीकेटिंग मेला क्षेत्र परिसर में झूला क्षेत्र के अतिरिक्त निर्धारित किये गये परिसर की करानी होगी जो कि कम से कम 2 मीटर ऊचाई की होगी एवं लगभग 2000 वर्ग मीटर होगी।
6. यदि प्रथम/उच्चतम नीलाम बोलीदाता नीलाम धनराशि जमा नहीं करता है तो प्रथम /उच्चतम नीलाम बोलीदाता की जामनत धनराशि सम्पहृत/जब्त कर ली जाएगी और ठेका द्वितीय उच्च बोलीदाता को प्रदान कर दिया जायेगा।
7. उच्चतम नीलाम बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा का होगा।
8. ब्रज रज उत्सव–2021 वृन्दावन में कोई भी अनुचित,, अश्लील अथवा भड़काऊ प्रदर्शन वाले धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले अथवा अवैधानिक खेल तमाशा आदि तथा जोखिम वाले आइटमों का आयोजन नहीं किया जायेगा। ठेकेदार को सम्बन्धित विभागों तथा अग्निशमन, जिला मनोरंजन कर, विद्युत विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेकर मेला प्रारम्भ होने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. मेला क्षेत्र में शराब, जुआ, सट्टा, अन्य मादक पदार्थ आदि की दुकान लगाना , विक्रय करना एवं सेवन करना या किसी आयोजन के दौरान नशे में रहकर शरीक होना पूर्णतः वर्जित होगा।

10. मेला आयोजन मंच, सरकारी विभागों की स्टॉल/प्रदर्शनी आदि का क्षेत्र रिक्त रहेगा। मेला शिविर, सार्वजनिक मार्ग व सार्वजनिक स्थल आदि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया जायेगा।
11. मेला परिसर में क्लोज टीनशैड वैरीकेटिंग ले–आउट प्लान के अनुसार कराई जायेगी। बेरीकेटिंग पर विज्ञापन आदि की प्रचार–प्रसार सामग्री लगवाने का अधिकार ठेकेदार का होगा एवं इसस प्राप्त होने वाली आय पर ठेकेदार अधिकार होगा। मेला अवधि में वैरीकेटिंग की मेन्टीनेन्स का दायित्व ठेकेदार का होगा।
12. ठेका तहबाजारी की न्यूनतम सरकारी नीलाम बोली समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
13. ठेका तहबाजारी का क्षेत्र ब्रज रज उत्सव– 2021 हेतु निर्धारित कुम्भ मेला ग्राउण्ड वृन्दावन में होगा।
14. शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा ठेकेदार की जमानत धनराशि सम्पहृत/जब्त कर ली जायेगी।
15. उपरोक्त शर्तों मे ंमुख्य कार्यपालक अधिकारी उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा की स्वीकृति के उपरान्त आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।
16. झूले स्थापना का कार्य ले–आउट प्लान के अनुसार चयनित स्थल पर ही करना होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, मथुरा ही होगा।
18. ठेकेदार व उसके स्टाफ द्वारा अपने पहचान पत्र हर समय अपने पास रखना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को कर्मियों के नामों की सूची व पहचान पत्रों की फोटोप्रति प्रभारी, मेला स्थल चोकी/थाना वृन्दावन को मेला प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रस्तुत करनी होगी।
19. ठेकेदार को शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर अपना फोटोयुक्त नाटरी शपथ पत्र नीलामी के तत्काल पश्चात प्रस्तुत करना होगा।
20. नियमानुसार देय जी.एस.टी. आयकर व अन्य शासकीय देयों/करों आदि का स्वयं का ठेकेदार द्वारा पृथक से भुगतान किया जायेगा।
21. ठेकेदार को अपने आधार कार्ड, पैनकार्ड व मतदाता पहचान पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने/पाये जाने पर ठेका निरस्त होने की स्थिति में ठेकेदार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।